न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 221/2023

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

जंग सिंह उर्फ अजायब सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति कुम्हार निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. नायब सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति कुम्हार निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. नाजर सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सर्वजीत कौर पत्नी श्री मेजर सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. ठाणा सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. राणा सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. सुखदेव सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
9. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 9.6.2023

वादी जंग सिंह उर्फ अजायब सिंह ने प्रतिवादीगण नायब सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 108/88 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि, इसी चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 106/29 जमाबन्दी

लगातार --2

9/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल ...

सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के नाम से 0.253 है. कृषि
भूमि, चक 17 एम.के.एस. के खाता सं. 64/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
में प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि तथा इसके अलावा
तहसील पीलीबंगा के चक 14 एम.ओ.डी. के खाता सं. 57/55 जमाबन्दी
सम्वत् 2076-79 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से 1.076 है.
कृषि भूमि, चक 3 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता सं. 140/69 जमाबन्दी सम्वत्
2075-78 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से 2.2345 है. कृषि
भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित
प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि
भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त परिवार की संयुक्त
आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है
परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंट्वारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में
दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के अन्य लोगों के प्रभाव
में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के
कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य विवाद हो गया व आपस में
कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी
सं. 1 ता 7 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं.
1 ता 7 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) वादी जंग सिंह उर्फ अजायब सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति कुम्हार निवासी
मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि
भूमि का विवरण :-
तहसील संगरिया के चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 106/29 जमाबन्दी
सम्वत् 2070-73 में 0.253 है. कृषि भूमि
तहसील संगरिया के चक 17 एम.के.एस. के खाता सं. 64/67 जमाबन्दी
सम्वत् 2070-73 में 1.265 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 नायब सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति कुम्हार निवासी मानकसर
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का
विवरण :-
तहसील संगरिया के चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 108/88 जमाबन्दी
सम्वत् 2070-73 में 0.253 है. कृषि भूमि
तहसील संगरिया के चक 17 एम.के.एस. के खाता सं. 64/67 जमाबन्दी
सम्वत् 2070-73 में 1.265 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा।

(ग) प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः नाजर सिंह एवं बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मुखत्यार
सिंह समस्त जाति कुम्हार निवासी ... तहसील पीलीबंगा जिला
हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ... कृषि भूमि का विवरण :-

लगातार --3

9/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसील पीलीबंगा के चक 14 एम.ओ.डी. के खाता सं. 57/55 जमाबन्दी
सम्वत् 2076-79 में 0.716 है. कृषि भूमि
तहसील पीलीबंगा के चक 3 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता सं. 140/69 जमाबन्दी
सम्वत् 2075-78 में 1.490 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 सर्वजीत कौर पत्नी श्री मेजर सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील पीलीबंगा के चक 14 एम.ओ.डी. के खाता सं. 57/55 जमाबन्दी
सम्वत् 2076-79 में 0.224 है. कृषि भूमि
तहसील पीलीबंगा के चक 3 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता सं. 140/69 जमाबन्दी
सम्वत् 2075-78 में 0.3265 है. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 5 ता 7 क्रमशः ठाणा सिंह, राणा सिंह, सुखदेव सिंह पुत्रगण श्री मेजर सिंह समस्त जाति कुम्हार निवासीगण लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील पीलीबंगा के चक 14 एम.ओ.डी. के खाता सं. 57/55 जमाबन्दी
सम्वत् 2076-79 में 0.136 है. कृषि भूमि
तहसील पीलीबंगा के चक 3 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता सं. 140/69 जमाबन्दी
सम्वत् 2075-78 में 0.418 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 7 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 8 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 108/88 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, चक [illegible] एम.के.एस. के खाता सं. 106/29 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, चक 17 एम.के.एस. के खाता सं. 64/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, तहसील पीलीबंगा के चक 14 एम.ओ.डी. के

लगातार --4

9/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल ....

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाता सं. 57/55 जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 एवं चक 3 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता सं. 140/69 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 5 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा अपने अधियक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 108/88 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि, इसी चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 106/29 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि, चक 17 एम.के.एस. के खाता सं. 64/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि तथा इसके अलावा तहसील पीलीबंगा के चक 14 एम.ओ.डी. के खाता सं. 57/55 जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से 1.076 है. कृषि भूमि, चक 3 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता सं. 140/69 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से 2.2345 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 106/29 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 ता 7 का नाम

लगातार --5

9/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल ढोलादाणी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलमजन किया जावे, चक 17 एम.के.एस. के खाता सं. 64/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 ता 7 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 108/88 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील पीलीबंगा के चक 14 एम.ओ.डी. के खाता सं. 57/55 जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से 1.076 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.716 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 4 को 0.224 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 7 को 0.136 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 3 एल.जी.डब्ल्यु. के खाता सं. 140/69 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से 2.2345 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1.490 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 4 को 0. 3265 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 7 को 0.418 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी का नाम जंग सिंह के स्थान पर अजायब सिंह अंकित किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 9.6.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),

सगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर स्थल ..... [illegible]

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 221/2023

जंग सिंह उर्फ अजायब सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति कुम्हार निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. नायब सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति कुम्हार निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. नाजर सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सर्वजीत कौर पत्नी श्री मेजर सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. त्राणा सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. राणा सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. सुखदेव सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति कुम्हार निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
9. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :- 9.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 106/29 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2

लगातार --2

9/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल खोथांवाली

ता 7 का नाम कलमजन किया जावे, चक 17 एम.के.एस. के खाता सं. 64/67 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 ता 7 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 16 एम.के.एस. के खाता सं. 108/88 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील पीलीबंगा के चक 14 एम. ओ.डी. के खाता सं. 57/55 जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से 1.076 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 0.716 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 4 को 0.224 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 7 को 0.136 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 3 एल. जी.डब्ल्यु. के खाता सं. 140/69 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से 2.2345 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1. 490 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 4 को 0.3265 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 7 को 0.418 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी का नाम जंग सिंह के स्थान पर अजायब सिंह अंकित किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X.... निल ....X.... बाबत् ....X....
निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयाबी तक ....X.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 9.6.2023 को

जारी किया जाता है।

9/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर स्थल ....

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official